[2022] 2 एस. सी. आर 1

सूर्यवीर

बनाम

हरियाणा राज्य

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 177)

3 फरवरी, 2022

[न्यायमूर्तिगण उदय उमेश ललित और पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा **]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.302, 34 और 120-बी-भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959-एस।25 – वर्तमान अपीलार्थी-मूल अभियुक्त नं.1 पीडब्लू-12 के बेटे की हत्या करने के लिए दो व्यक्तियों ('डी' और 'पी') के साथ मुकदमा चलाया गया-पीडब्लू-12 (मृतक के पिता) के कहने पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई-हथियार की वसूली ज्ञापन तैयार किया गया- विचारण न्यायालय ने आरोपी नं.1 और दंडनीय अपराध का 'डी' यू/एस।302/34 आई. पी. सी. और सभी आरोपों से बरी 'पी'-दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की-आरोपी 'डी' ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली एस. एल. पी. को प्राथमिकता दी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया-अपीलकर्ता-आरोपी नं.1 इसके बाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया और कहा गया कि अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान स्थापित नहीं की गई थी-आयोजितःपीडब्लू-12 और पीडब्लू-15 (मृतक की मां) को हमलावरों की पहचान के बारे में पता नहीं था-उनकी जानकारी का स्रोत अफवाहें थीं, जिसके आधार पर अपीलार्थी की पहचान के बारे में प्राथमिकी में न्यायालय किया गया था-इसलिए, प्राथमिकी में दावे और गवाहों की जांच-इन-चीफ भरोसेमंद नहीं हैं-पीडब्लू-12 ने अपनी जांच में जोर देकर कहा कि उसकी पत्नी (पीडब्लू-15) ने उसे सूचित किया कि घटना से एक दिन पहले दो आरोपी व्यक्ति उनके घर उनके बेटे के बारे में पूछने आए थे, जबकि वह बाहर था-जबकि, पीडब्लू-15 ने अपनी जांच-इन-चीफ में यह न्यायालय नहीं किया था कि दो आरोपी पिछले दिन उसके घर आए थे, इसलिए उसके लिए अपीलार्थी को पहले देखने का कोई अवसर नहीं था-इसके अलावा

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पीडब्लू**-12** और पीडब्लू**-15** को हमलावरों की पहचान के बारे में पता नहीं था।उनकी जानकारी का स्रोत अफवाहें थीं**,** जिनके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी की पहचान के बारे में दावा किया गया था।सूचना का स्रोत क्या था**,** इसका खुलासा कभी किसी भी समय नहीं किया गया और न ही इसे स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा किसी गवाह से पूछताछ की गई।प्राथमिक स्रोत की

अनुपस्थिति में जो पहचान जानते थे और घटना के गवाह थे, प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ गवाहों की जांच-इन-चीफ में इस तरह के दावे पर्याप्त और भरोसेमंद नहीं होंगे।यह पीडब्लू-**15** का मामला भी नहीं था कि दो दोषी आरोपी पिछले दिन उसके घर आए थे। वास्तव में, उसने पिछले दिन हुई घटना के बारे में कुछ भी नहीं कहा।इस प्रकार, उसके लिए दोषी ठहराए गए आरोपी को पहले देखने का कोई अवसर नहीं था।इसके अलावा, कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी।न्यायालय में पहली बार गवाहों द्वारा बॉक्स पहचान, परिस्थितियों में, हमलावरों की पहचान स्थापित करने के लिए अपने आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।**[**पैरा **17] [9-**ई-एच**]**

2. यह इसे वसूली के संबंध में सहायक साक्ष्य के साथ छोड़ देता है, जो ठोस साक्ष्य के अभाव में, अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा।परिस्थितियों में, हमारे सुविचारित विचार में, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपने मामले को स्थापित करने में विफल रहा।इसलिए, अपीलार्थी बरी होने का हकदार होगा।इस प्रकार तत्काल अपील की अनुमति दी जाती है जिससे वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी हो जाता है।**[**पैरा **18] [10-**ए-बी**]**

3. इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, दोनों दोषी अभियुक्तों के मामले अर्थात 'घ' और वर्तमान अपीलार्थी एक ही आधार पर खड़ा है और यदि मामले पर विचार करने के बाद, वर्तमान अपीलार्थी को लाभ दिया जाता है, तो समान लाभ 'घ' तक बढ़ाया जाना चाहिए। **[**पैरा **20] [10-**सी-डी**]**

अखिल अली जहांगीर अली सैयद बनाम महाराष्ट्र राज्य (2003) 2 एस. सी. सी. 708; हरबंस सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।

(1982) 2 एस**.** सी**.** सी **101:[1982] 3** एस**.** सी**.** आर**. 235-**पर निर्भर।

संदर्भित निर्णय

[2003] 2 एस**.** सी**.** सी**. 708**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **21**

[1982] 3 एससीआर **235**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **21**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 177।

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 12.03.2014 से सी. आर. ए. नं. 2009 का डी-1049-डी. बी.आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुदर्शन

राजन, महेश कुमार, रोहित भारद्वाज, हितेन बजाज, विष्णु पझांगनत, सुश्री स्वाति गर्ग, प्रबोध शुक्ला, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

एस. उदय कुमार सागर, ए. ए. जी., डॉ. मोनिका गुसैन, प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय उदय उमेश ललित, जे द्वारा दिया गया था

1. देरी को माफ कर दिया गया। अनुमति दी गई।

2. यह अपील 2009 के CRA-D-No.1049-DB में उच्च न्यायालय 1 द्वारा पारित 12.03.2014 के फैसले और आदेश को चुनौती देती है।

3. वर्तमान अपीलार्थी (मूल अभियुक्त संख्या 1) और देवेंद्र उर्फ ढोला और प्रदीप नाम के दो व्यक्तियों पर सत्र न्यायाधीश, जींद की न्यायालय में सत्र मुकदमे में मुकदमा चलाया गया था, क्योंकि उन्होंने लगभग शाम 6 बजे राजिंदर उर्फ राजू की हत्या की थी और इस तरह भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 4-बी और भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत दंडनीय अपराध किए थे।

4. ओम प्रकाश, जिसे बाद में मुकदमे में पीडब्लू-12 के रूप में जांच की गई, के कहने पर सिटी पुलिस स्टेशन, जींद में दर्ज 01.10.2008 की प्राथमिकी No.566 के अनुसार अपराध दर्ज किया गया।रिपोर्ट का मूल भाग इस प्रकार थाः

“कल, 30.09.2008 पर, मैं लाने के लिए हमेशा की तरह दिल्ली गया था।

1 चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय।2 ‘आई. पी. सी. ', संक्षेप में।

3 ‘शस्त्र अधिनियम ', संक्षेप में।

सामानों को।जब मैं शाम को करीब साढ़े पांच बजे मेरे घर लौटा तो मेरी पत्नी जानकी देवी ने मुझे बताया कि कुलदिप और कमलजीत ने दो युवाओं को घर देखने का नाटक करते हुए हमारे घर भेजा था, जो जबरन घर में घुस गए और हमारे बेटे राजू के बारे में पूछा, जो उस समय घर पर मौजूद नहीं था।उन्हें मेरी पत्नी ने बाहर भेजा था।मेरी पत्नी टकराव में उनकी पहचान कर सकती है।आज शाम करीब 6 बजे। मैं और मेरी पत्नी जानकी देवी कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए बाजार जा रहे थे।जब हम घर से बाहर आकर मुख्य सड़क पर पहुँचे, जिस पर 'गुरुद्वारा' स्थित है, तो मेरा बेटा राजू भारत सिनेमा की ओर से आता हुआ दिखाई दिया।उनके साथ पीछे से एक सफेद कार आई, जिसमें तीन युवक सवार थे।कार को अचानक राजू के बगल में रोक दिया गया और दो लड़के उसमें से उतर गए और मेरे देखने से पहले ही एक लड़के ने अपनी पिस्तौल से राजू की गर्दन पर गोली चला दी।गोली लगते ही राजू जमीन पर गिर गया और दोनों उस कार में नहर की ओर भाग गए।बाद में जिनके नाम बलराम के पुत्र सूर्यवीर, ब्राह्मण निवासी अग्रवाल मार्केट, जींद, बलवान जाट निवासी भिवानी रोड, जींद के पुत्र प्रदीप और उमेद सिंह के पुत्र देवेंद्र उर्फ ढोला, शर्मा नगर, भिवानी रोड, जींद के जाति जाट के रूप में जाने गए।मैंने और

मेरी पत्नी ने खून से लथपथ अपने बेटे राजू की देखभाल करना शुरू कर दिया और उसे तिपहिया वाहन में इलाज के लिए जींद के सामान्य अस्पताल ले आए, जिसने रास्ते में ही अंतिम सांस ली।मुझे संदेह है कि कमलजीत और जींद के वेद नगर निवासी मेघराज पंजाबी के कुलदिप बेटों ने साजिश रचते हुए घर खाली नहीं करने की दुर्भावना के कारण सूर्यवीर, प्रदीप और डेवर @ढोला के माध्यम से मेरे बेटे राजू को गोली मार दी है।"5. डॉ. अश्विनी कुमार द्वारा मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया गया, बाद में पीडब्लू-2 के रूप में जांच की गई, जिन्होंने देखाः-

"3. चोट-(ए) गर्दन के पिछले हिस्से पर 1 सेंटीमीटर x 0.9 सेंटीमीटर x गहराई (/) आकार का घाव पीछे की केश रेखा से 1 सेंटीमीटर नीचे और बाईं ओर 2 सेंटीमीटर पार्श्व से मध्य रेखा तक रखा जाता है।किनारों को उल्टा किया जाता है और घाव के चारों ओर मौजूद टैटू घाव के चारों ओर जमा हुआ खून मौजूद था।

(बी) आकार का घाव 1.8 x1 सेमी x गहराई (?)गर्दन पर उरोस्थि के ऊपरी छोर से 9 से. मी. ऊपर और बाईं ओर 1.5 से. मी. पार्श्व से मध्य रेखा क्षैतिज स्थान पर घाव के चारों ओर जमा हुआ रक्त मौजूद था।

चोट संख्या ए. त्वचीय ऊतक और मांसपेशियों के विच्छेदन पर आगे विच्छेदन पर घाव हो जाते हैं, श्वासनली की बाईं दीवार का घाव होता है।बाईं ओर की प्रमुख रक्त वाहिकाओं में रक्त का एकत्रित घाव था जो श्वासनली में मौजूद था और अवैध था।आगे विच्छेदन चोट पर सं. ए. चोट सं. बी.

(ग) 1 x 1 सेमी गहराई का घाव (?)बाईं जांघ की पूर्ववर्ती सतह पर मौजूद था, पूर्ववर्ती उच्चतर इलियाक रीढ़ के किनारों से 9 सेंटीमीटर नीचे उल्टा होता है और टैटू बनवाना मौजूद था थक्का हुआ रक्त मौजूद था।

चोट संख्या सी के विच्छेदन पर त्वचीय नरम का घाव होता है और मांसपेशियों को आगे विच्छेदन पर अवैध और अवैध होने से राहत देने वाले पक्षियों (पूर्ववर्ती मार्जिन) को अवैध छोड़ दिया जाता है और बाईं ओर एल 4 और एल 5 कशेरुकों के बीच की मांसपेशियों में अंतर्निहित पाया जाता है।

4. खोपड़ी की खोपड़ी, छाती की दीवार की पसलियाँ और उपास्थि, पेट की दीवार का मुंह ग्रसनी ग्रासनली अवैध मूत्राशय और पीढ़ियों के अंग स्वस्थ थे मस्तिष्क झिल्ली दाएँ और बाएँ फेफड़े को प्लूरा करती है, अवैध जानवर के प्लीहा गुर्दे होते हैं पेट छोटा और बड़ी आंत पीला स्वस्थ होता है, पेट में 100 सीसी अर्ध पचाया हुआ भोजन होता है, छोटी आंत में चीम और गैस होती है, बड़ी आंत में मल पदार्थ और गैस होती है।जैसा कि वर्णित है, स्वरयंत्र और श्वासनली। मेरी राय में इस मामले में मृत्यु का कारण मेरे द्वारा वर्णित चोटों के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव के कारण था।सभी चोटें प्रकृति में मृत्यु-रोधी थीं और प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।"

6. जाँच पूरा होने के बाद आरोप पत्र दायर किया गया जिसमें कहा गया कि हमलावर मोटरसाइकिलों पर आए थे और मृतक पर गोली चलाने के बाद मोटरसाइकिलों पर भाग गए थे।

7. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने मृतक के पिता पीडब्लू-12 ओम प्रकाश और मृतक की मां पीडब्लू-15 जानकी देवी की गवाही पर भरोसा किया।

ए. पीडब्लू-12 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहाः- "आई. डी. 1 को मैं शाम को दिल्ली से लौटा और मेरी पत्नी ने बताया कि दो युवा लड़के हमारे घर आए थे और वे जबरन हमारे घर में घुस गए थे।उसने मुझे आगे बताया कि हमारे मकान मालिक ने उन्हें भेजा था।उसने मुझे आगे बताया

कि उन्होंने उससे राजिंदर उर्फ राजू के बारे में पूछताछ की थी और उसने उन्हें यह कहते हुए बाहर भेज दिया था कि राजिंदर उर्फ राजू घर में उपलब्ध नहीं है।

अगले दिन यानी दिल्ली से लौटने के बाद मैंने अपनी पत्नी के साथ कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए बाजार भेजा।जब हम बाजार के रास्ते पर पहुँचे तो हमने राजिंदर उर्फ राजू को भारत सिनेमा के किनारे से आते देखा।इस बीच, भारत सिनेमा की ओर से दो-तीन लोग आए और उन्होंने मेरे बेटे राजिंदर उर्फ राजू पर गोली चला दी और उसके बाद हम होश खो बैठे।इसके बाद, मैं अपने बेटे राजिंदर उर्फ राजू को एक ऑटो रिक्शा में जींद के जनरल अस्पताल ले आया।उन्होंने फिर कहा कि जब मैं उन्हें अस्पताल ला रहा था तो राजिंदर उर्फ राजू की रास्ते में ही मौत हो गई।मोहल्ला में अफवाह थी कि सूर्यवीर, देवेंद्र उर्फ ढोला और प्रदीप ने मेरे बेटे राजिंदर उर्फ राजू पर गोली चलाई थी।सैद सूर्यवीर, देवेंद्र उर्फ ढोला और प्रदीप आज इस मामले में मुकदमे का सामना कर रहे न्यायालय में मौजूद हैं।मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे बेटे राजिंदर उर्फ राजू की हत्या क्यों की।मैंने अपने बयान Ex.PH के माध्यम से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।पुलिस ने मुझे बुलाया था और बताया था कि हमलावर सूर्यवीर, देवेंद्र उर्फ ढोला और प्रदीप थे।उन्होंने फिर कहा, मुझे पुलिस ने अभियुक्तों की पहचान के लिए बुलाया था और मैंने उनकी पहचान अपने बेटे राजिंदर उर्फ राजू के हत्यारों के रूप में की थी।मेमो Exs.PS और पी. टी. पर मेरे हस्ताक्षर हैं।पुलिस दोपहर के समय मेरे घर आई थी और यह कहते हुए मुझे ले गई थी कि कुछ गुप्त जानकारी मिली है।पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की थी, जिसने अपराध के हथियार के बारे में खुलासा किया था।पुलिस पहले मुझे रोहतक रोड, जींद ले गई थी और उसके बाद आरोपी ने वन कार्यालय के पास लगे बिजली के खंभे के पास से हथियार बरामद किए थे।कुछ मिट्टी निकालने के बाद अभियुक्तों ने पिस्तौल और रिवॉल्वर और कारतुस बरामद किए थे, जिन्हें एक पॉलिथीन बैग में लपेटा गया था।पुलिस पिस्तौल और रिवॉल्वर को काले पॉलीथीन बैग में डालने के बाद लाई थी और उसके बाद, मुझे नहीं पता कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की।रिकवरी मेमो Ex.PU पर मेरे हस्ताक्षर हैं।पिस्तौल और रिवॉल्वर बरामद होने पर पुलिस ने स्केच Ex.PV और अभि. साक्षी पर मेरे हस्ताक्षर प्राप्त किए।मैं ए करता हूँ। पता नहीं 24.10.2008 पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की।" अपनी जिरह में, गवाह ने स्वीकार कियाः

"यह सही है कि मैंने पुलिस को बताया था कि तीन युवा लड़के सफेद रंग की मारुति कार में आए थे और उनमें से एक ने मेरे बेटे पर गोली चलाई थी और उसके बाद वह उसी कार में चला गया था।स्वयंसेवी-उस समय, मैं पूरी तरह से होश में नहीं था।"

बी. पीडब्लू-15 जानकी देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहाः-

"न्यायालय में अब मौजूद तीनों अभियुक्तों ने 1 अक्टूबर, यानी लगभग सात महीने पहले मेरे बेटे राजू की हत्या कर दी थी और अब 8 वां महीना चल रहा है, लगभग 06 बजेः00 पी. एम. उस समय मैं अपने पति के साथ बाजार जाने के लिए अपने घर से आया था।जब हमने अपने घर से सड़क की ओर कुछ दूरी तय की, तो मैंने देखा कि मेरा बेटा राजू भारत सिनेमा, जींद के किनारे से आ रहा था।जब हम सड़क पर पहुँचे।मैंने देखा कि मेरा बेटा राजू हमसे 15 से 20 गज की दूरी पर है।न्यायालय में अब मौजूद तीनों आरोपी मेरे बेटे राजू के पास खड़े थे और तीनों आरोपी पिस्तौल से लैस थे और उन्होंने मेरे बेटे राजू पर गोलियां चलाईं।गोली लगने के बाद मेरा बेटा राजू नीचे गिर गया।इसके बाद हम अपने बेटे राजू को तिपहिया वाहन से जींद के सामान्य अस्पताल ले गए।अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मेरे बेटे की मौत हो गई।

न्यायालय में मौजूद आरोपी, मेरे बेटे राजू पर गोलियां चलाने के बाद, मोटरसाइकिल पर नहर की ओर भाग गया था।अस्पताल से मैं अपने घर वापस आ गया।पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया था और वहाँ से रिकवरी मेमो Ex.PM के माध्यम से खून उठाया था, जिसे मैंने सत्यापित किया था।मैंने पुलिस को घटना स्थल के बारे में बताया था।" अपनी प्रतिपरीक्षा में, गवाह ने कहाः-

"मैंने पुलिस के सामने उल्लेख किया था कि गोली चलाने के बाद आरोपी मोटरसाइकिलों पर भाग गया था (बयान Ex.DA के साथ सामना करना पड़ा जिसमें यह दर्ज नहीं है)।"

8. विचारण न्यायालय ने अपने फैसले और दिनांक 1 के आदेश से जहां तक आरोपी सूर्यवीर और देवेंद्र का संबंध है, अभियोजन के मामले को स्वीकार कर लिया, जबकि तीसरे आरोपी प्रदीप को संदेह का लाभ दिया गया, जिसे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। विचारण न्यायालय ने सूर्यवीर और देवेंद्र को आई. पी. सी. की धारा 34 सहपठित दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध के लिए, उन्हें एक साल और छह महीने की ठोस सजा और Rs.2000-की राशि में जुर्माना देने का आदेश दिया गया था।

9. दोषी ठहराए गए आरोपी सूर्यवीर और देवेंद्र ने सी. आर. ए.-डी.-नं. को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय में क्रमशः 2009 का 1049-डी. बी. और 1087-डी. बी., जिसने अपने सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि की और दोनों अपीलों को खारिज कर दिया।

10. अभियुक्त देवेंद्र उर्फ ढोला ने एस. एल. पी. को प्राथमिकता दी। (सीआरएल।) 2016 का No.9957 उनकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देता है।उक्त विशेष अनुमति याचिका को

इस न्यायालय द्वारा बिना किसी तर्कपूर्ण आदेश के 05.12.2016 पर प्रवेश स्तर पर खारिज कर दिया गया था।

11. एस. एल. पी (सीआरएल।) डायरी सं.19963 इसके बाद सूर्यवीर यानी अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उसी फैसले को चुनौती देते हुए 2020 की याचिका दायर की।

12. नोटिस जारी करने के चरण में, यह उचित रूप से स्वीकार किया गया था कि सह-अभियुक्त के मामले को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन यह प्रस्तुत किया गया था कि इस मामले में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने का आह्वान किया गया था।

13. अब इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिए लिया गया है।

14. हमने श्री आर. बसंत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री उदय कुमार सागर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

15. श्री बसंत विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैंः-

(क) प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री के अनुसार, पीडब्लू-12 हमलावरों की पहचान से अनजान था और केवल अफवाहों के आधार पर ही उसे हमलावरों के नामों के बारे में पता चला। हमलावरों की पहचान स्थापित करने वाली ऐसी जानकारी के स्रोत का न तो खुलासा किया गया था और न ही उस ओर से कोई सबूत अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में था।

(ख) पीडब्लू-12 ओम प्रकाश ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमलावर एक सफेद कार में आए थे जिसे पूरी तरह से मंजूरी दे दी गई थी जब गवाह डिब्बे में घुस गए और अभियोजन पक्ष ने अब दावा किया कि हमलावर मोटरसाइकिलों पर आए थे और गोली मारने के बाद मृतक मोटरसाइकिलों पर भाग गया।

(ग) पिछले दिन की घटना को पीडब्लू-15; जानकी देवी ने भी स्वीकार नहीं किया था। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला नहीं था कि वे दो व्यक्ति जो पीडब्लू 12 और 15 के घर आए थे, वही व्यक्ति थे जिन्हें अब दोषी ठहराया गया था।

(घ) यद्यपि गवाहों ने अपनी जानकारी के आधार पर हमलावरों की पहचान का खुलासा कभी नहीं किया था, यहां तक कि यह जांचने के लिए कि क्या उन्होंने वास्तव में हमलावरों को देखा था, परीक्षण पहचान परेड आयोजित की जानी चाहिए थी।इस तरह की परीक्षण पहचान परेड ने न्यायालय को हमलावरों की पहचान के बारे में अधिक आश्वासन दिया होगा।

(ई) कमलजीत और कुलदीप के खिलाफ कथित दुश्मनी और संदेह की जांच भी नहीं की गई थी।

16. दूसरी ओर राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री उदय कुमार सागर ने प्रस्तुत विद्वान कि दो अदालतों ने लगातार यह विचार रखा था कि सह-अभियुक्त देवेंद्र द्वारा दायर

विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने में भी पुष्टि मिली और इस मामले में अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं है।

17. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पीडब्लू-12 और पीडब्लू-15 को हमलावरों की पहचान के बारे में पता नहीं था।उनकी जानकारी का स्रोत अफवाहें थीं, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी की पहचान के बारे में दावा किया गया था।सूचना का स्रोत क्या था, इसका खुलासा कभी किसी भी समय नहीं किया गया और न ही इसे स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा किसी गवाह से पूछताछ की गई।प्राथमिक स्रोत के अभाव में जो पहचान जानते थे और घटना के गवाह थे, प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ गवाहों के परीक्षण-प्रमुख में इस तरह के दावे पर्याप्त और भरोसेमंद नहीं होंगे।यह पीडब्लू-15 का मामला भी नहीं था कि दो दोषी आरोपी पिछले दिन उसके घर आए थे।वास्तव में, उसने पिछले दिन हुई घटना के बारे में कुछ भी नहीं कहा।इस प्रकार, उसके लिए दोषी ठहराए गए आरोपी को पहले देखने का कोई अवसर नहीं था।इसके अलावा, कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी।न्यायालय में पहली बार गवाहों द्वारा बॉक्स पहचान, परिस्थितियों में, हमलावरों की पहचान स्थापित करने के लिए अपने आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।

18. यह हमें वसूली के संबंध में सहायक साक्ष्य के साथ छोड़ देता है, जो ठोस साक्ष्य के अभाव में, अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा।परिस्थितियों में, हमारे सुविचारित विचार में, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपने मामले को स्थापित करने में विफल रहा।इसलिए, अपीलार्थी बरी होने का हकदार होगा।इस प्रकार तत्काल अपील की अनुमति दी जाती है जिससे वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी हो जाता है।

19. अब हमें एस. एल. पी. की बर्खास्तगी के प्रभाव पर विचार करना चाहिए। (सीआरएल।) 2016 का No.9957 सह-अभियुक्त-देवेंद्र उर्फ ढोला द्वारा पसंद किया गया।विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के आदेश में खारिज करने का कोई कारण नहीं बताया गया था।

20. हमारे विचार में, दोनों दोषी अभियुक्त यानी देवेंद्र और वर्तमान अपीलार्थी के मामले एक ही आधार पर खड़े हैं और यदि मामले पर विचार करने के बाद, वर्तमान अपीलार्थी को लाभ दिया जाता है, तो समान लाभ देवेंद्र को भी दिया जाना चाहिए।

21. इसी तरह की परिस्थितियों में, अखिल अली जहांगीर अली सैयद बनाम महाराष्ट्र राज्य 4 में, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने हरबंस सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए पहले के फैसले पर भरोसा किया। यू. पी. 5 राज्य और एक सह-अभियुक्त को लाभ दिया, जिसकी विशेष अनुमति याचिका और समीक्षा आवेदन इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

इस मुद्दे पर प्रासंगिक चर्चा इस प्रकार थी:"6. उपरोक्त इस मामले को निपटाने के लिए पर्याप्त नहीं है।जैसा कि दूसरे अभियुक्त जब्बार को इस मामले में अपीलार्थी के समान स्थिति में रखा गया था (यदि कम नहीं तो), संविधान का अनुच्छेद 21 हमें दूसरे अभियुक्त को समान लाभ से

वंचित करने की अनुमति नहीं देगा, इस तथ्य के बावजूद कि एसएलपी और उसके द्वारा दायर समीक्षा आवेदन को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।हम इस पहलू पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम द्वारा समर्थित हैं।

हरबंस सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में उस मामले में भी, सह - अभियुक्तों को सजा सुनाई गई थी और इस न्यायालय द्वारा सजा की पुष्टि पहले ही की जा चुकी थी।लेकिन जब अन्य सह-अभियुक्तों में से एक को एक अन्य अपील में लाभ दिया गया था, तो तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वही लाभ पहले के सह-अभियुक्तों को भी दिया जाएगा।

4 (2003) 2 एससीसी 708 5 (1982) 2 एससीसी 101 ए

यद्यपि अभियुक्त पूर्ववर्ती तिथि पर अपनी अपीलों को खारिज कर देते हैं।

7.उक्त निर्णय से निम्नलिखित अंश लाभप्रद रूप से नीचे निकाला जा सकता हैः

“19. ऊपर कही गई परिस्थितियों में, मेरी राय है कि याची को दी गई मौत की सजा को निष्पादित करने की अनुमति देना स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण होगा।हालाँकि, जो सवाल मुझे परेशान करता है, वह यह है कि क्या इस न्यायालय के पास याची को दी गई सजा के सवाल पर विचार करने और कोई उचित आदेश पारित करने की कोई शक्ति और अधिकार क्षेत्र है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न केवल उसकी विशेष अनुमति याचिका और समीक्षा याचिका को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है, बल्कि यह भी तथ्य कि उसकी दया याचिका को भी राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दिया गया है।

20. न्याय के उचित और उचित प्रशासन के लिए इस न्यायालय को बहुत व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं।संविधान के अनुच्छेद 32 और 136 के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के अलावा, मेरी राय है कि यह न्यायालय न्याय के प्रशासन के व्यापक हित में और प्रकट अन्याय को रोकने के लिए किसी भी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए एक अंतर्निहित शक्ति और अधिकार क्षेत्र को बनाए रखता है और उसे बनाए रखना चाहिए।न्याय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए इस शक्ति का उपयोग अनिवार्य रूप से केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहाँ इस न्यायालय को हरबंस सिंह की वर्तमान याचिका पर विचार करना चाहिए और इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए।”

8. इस मामले में तथ्य की स्थिति और संविधान के अनुच्छेद 21 की भावना पर भी चिंता से विचार करने के बाद हम एतद्द्वारा आदेश देते हैं कि दूसरे अभियुक्त जब्बार को दी गई दोषसिद्धि को भी धारा 304 भाग I में बदल दिया जाएगा और उसे दस साल के सश्रम कारावास की सजा दी जाएगी।यह तर्क और न्याय की समानता पर किया जाता है, अन्यथा उसके लिए एक ऐसे मामले में स्पष्ट अन्याय होगा जहां उसकी भूमिका किसी भी तरह से वर्तमान अपीलार्थी की तुलना में अधिक गंभीर नहीं थी जो मामले में ए 1 थी।”

22. परिसर में न्याय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, हम एस. एल. पी. में इस न्यायालय द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश को याद करते हैं। (सीआरएल।) 2016 का No.9957 और कहा कि एसएलपी फ़ाइल में बहाल हो गया है।देवेंद्र की ओर से ऐसी किसी प्रार्थना या आवेदन के अभाव में भी इस पाठ्यक्रम को अपनाया जाता है।हम उसके मामले में अनुमति देने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसकी अपील को स्वीकार करते हुए, हम देवेंद्र को भी इसी तरह का लाभ देते हैं।इस प्रकार वह अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी हो जाता है।

23. रजिस्ट्री को एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से उत्पन्न अपील के संबंध में उचित सूचना भेजने का निर्देश दिया जाता है। No.9957/2016 संबंधित जेल अधिकारियों को अनुमति दी जा रही है ताकि उक्त देवेंद्र को लाभ दिया जा सके।

24. दोनों दोषी अभियुक्तों को तब तक रिहा कर दिया जाएगा जब तक कि किसी अन्य अपराध के संबंध में उनकी हिरासत की आवश्यकता न हो।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(आरश चौधरी, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)